पटना नगर निगम

मौर्यलोक कॉम्पलेकस

पत्रांक..५०१०.....प.न.नि.

प्रेषक,

उप निदेशक
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री भानूं प्रकाश एवं अन्य,
रोड नं0–01, यारपुर,
थाना–गर्दनीबाग,
जिला–पटना।

पटना, दिनांक 22 / 04 / 2017 ई0

विषयः– प्लान केस संख्या P/Yarpur/PRN/G+4/305/2016 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन P/Yarpur/PRN/G+4/305/2016 दिनांक 27.08.2016 के संदर्भ मे श्री भानू प्रकाश एवं अन्य, रोड नं0–01, यारपुर, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम,2012 के अधीन अधिसूचित.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के.....सर्वे प्लॉट सं0–441 एवं 443(अंश) मौजा–यारपुर, थाना न0–18, खाता न0–30 एवं 39 तौजी नं0–379 सर्किल नं0–262, वार्ड नं0–08 पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया–416.66 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 10.97 मी0 से 14.70 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम,2012 के

अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 11.19 वर्ग मी0 चौड़ी भूमि पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधी के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपलब्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है जो की पृ0–38/प0 पर संलग्न है।

(ट) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है।

भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन
22/04/17
उप निदेशक
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम।